न्यायालय जिला कलक्टर, बीकानेर

बईजलास श्री कुमार पाल गौतम, आई.ए.एस., जिला कलक्टर, बीकानेर

नम्बर मुकदमा 04/2010 रेफरेंस (राजस्व विविध)

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) बीकानेर जिला बीकानेर

प्रार्थी

बनाम

हसनखां वल्द चांद खां कौम मुसलमान साकिन रिड़मलसर तहसील बीकानेर जिला बीकानेर

अप्रार्थी

रेफरेंस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :–

1– स्टेट की ओर से – विभागीय प्रतिनिधि
2– अप्रार्थी – अनुपस्थित।

आदेश दिनांक 18.06.2019

1– प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी स्टेट की ओर से तहसीलदार (राजस्व) बीकानेर ने रेफरेंस प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम शिवबाड़ी खसरा नम्बर 182 तादादी 8.12, 183 तादादी 7.17, 425/184 तादादी 3.10, 328/206 तादादी 2.15, 426/184 तादादी 4.12, 466/178 तादादी 2.18 कुल तादादी 29.06 बीघा श्री हसनखां पुत्र चांद खा कौम मुसलमान साकिन रिड़मलसर को आवंटन होकर रिकार्ड में बतौर गैर खातेदार दर्ज हुई है। इस भूमि के बदले में ग्राम जोड़बीड़ के खसरा नम्बर मीन 1 तादादी 50 बीघा आवंटन होकर प्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में बदस्तूर दर्ज है। इस प्रकार आवंटी को दौहरा लाभ प्राप्त हो गया है। जिसे राज्यहित में जरिये रेफरेंस निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है। आवंटन की गई भूमि विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त योग्य है। अतः रेफरेंस प्रार्थना पत्र स्वीकार कर माननीय राजस्व मण्डल को रेफरेंस करने हेतु निवेदन किया गया।

जिला कलक्टर, बीकानेर

Scanned by CamScanner

2– रेफरेंस प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी एवं अधिनस्थ न्यायालय का मूल रिकार्ड तलब किया गया। अप्रार्थी बावजूद तामील के उपस्थित नहीं आने पर उनके विरूद्ध दिनांक 13.7.2011 को इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3– तदन्तर विभागीय प्रतिनिधि की मामले के गुणावगुण पर इकतरफा बहस सुनी गई ।

4– स्टेट की ओर से विभागीय प्रतिनिधि की बहस है कि ग्राम शिवबाड़ी के खसरा नम्बर 182 तादादी 8.12, 183 तादादी 7.17, 425/184 तादादी 3.10, 328/206 तादादी 2.15, 426/184 तादादी 4.12, 466/178 तादादी 2.18 कुल तादादी 29.06 बीघा श्री हसनखां पुत्र चांद खा कौम मुसलमान साकिन रिड़मलसर को आवंटन होकर रिकार्ड में बतौर गैर खातेदार दर्ज हुई है। इस भूमि के बदले में तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी द्वारा विहित प्रक्रिया के तहत उक्त आवंटी को ग्राम जोड़बीड़ के खसरा नम्बर मीन 1 तादादी 50 बीघा आवंटित कर दी। जिसका नामान्तरकरण आवंटी के नाम दर्ज होकर खातेदारी भी प्राप्त हो गई और ग्राम जोड़बीड के रिकार्ड में बतौर खातेदार दर्ज हो गया है। आंवटी को ग्राम शिवबाड़ी में पूर्व में आंवटित रकबे में आराजी राज दर्ज कर भूमि बहक सरकार लिये जाने के आदेश नहीं किये गये। आंवटी को पूर्व में आंवटित भूमि ग्राम शिवबाड़ी के राजस्व रिकार्ड में बदस्तूर दर्ज रही। इस प्रकार आवंटी को दौहरा लाभ प्राप्त हो गया। उक्त भूल सुधारने के लिए राज्यहित में जरिये रेफरेंस पूर्व आवंटित भूमि निरस्त की जाना आवश्यक हो गया है। अतः ग्राम शिवबाड़ी की 29.06 बीघा जो श्री हसनखां पुत्र चांद खां कौम मुसलमान साकिन रिड़मलसर के नाम दर्ज है, को निरस्त किये जाने व उक्त रकबा आराजीराज घोषित किये जाने बाबत प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को रेफरेंस करने हेतु आदेश फरमाया जावे।

न्यायालय जिला कलेक्टर

जिला कलेक्टर, बीकानेर

Scanned by CamScanner

5— हमने विभागीय प्रतिनिधि की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। मुताबिक जमाबंदी (खतौनी) ग्राम शिवबाड़ी पटवार क्षेत्र बीकानेर भू.अ.निरीक्षक बीकानेर तहसील बीकानेर खसरा नम्बर 182 तादादी 8.12, 183 तादादी 7.17, 425/184 तादादी 3.10, 328/206 तादादी 2.15, 426/184 तादादी 4.12, 466/178 तादादी 2.18 कुल तादादी 29.06 बीघा संवत 2045 में खतौनी संख्या 258/221 पर हसन खां वल्द चांद खा, कौम मुसलमान साकिन रिडमलसर खातेदार दर्ज है। तत्पश्चात् फर्द अहकाम दिनांक 24.4.1976 में 50 बीघा पुख्ता आवंटन होकर ग्राम जोडबीड़ तहसील बीकानेर के खसरा नम्बर 1 मीन की 50 बीघा भूमि का नामान्तरण अप्रार्थी के नाम दर्ज हुई है। किन्तु अप्रार्थी को पूर्व आवंटित भूमि ग्राम शिवबाड़ी 29.06 बीघा निरस्त कर रकबा आराजीराज घोषित नहीं किया गया है। अर्थात यह प्रकरण रेफरेंस का ना होकर रिकार्ड शुद्धि का बनता है।

6— उपरोक्त विवेचन के परिपेक्ष्य में हम भू.अभिलेख अधिकारी होने के नाते सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 151 के तहत न्यायालय की अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुवे यह आदेश पारित करना उचित समझते है कि प्रकरण में अप्रार्थी हसन खां वल्द चांद खां कौम मुसलमान साकिन रिडमलसर द्वारा धारित पूर्व भूमि ग्राम शिवबाड़ी रकबा 29.06 बीघा आराजीराज दर्ज करने के लिये पूर्व आदेश में शुद्धि हेतु तहसीलदार बीकानेर सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 152 के तहत उपखण्ड अधिकारी बीकानेर के समक्ष आदेश प्राप्ति के 15 दिवस के अन्दर—अन्दर नियमानुसार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर भूमि आराजीराज दर्ज करने हेतु कार्यवाही सुनिश्चित कर पालना रिपोर्ट अविलम्ब इस न्यायालय को प्रस्तुत करें।

7— आदेश आज दिनांक 18.06.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर

(कुमार पाल गौतम)
जिला कलक्टर, बीकानेर
जिला कलक्टर, बीकानेर

Scanned by CamScanner